**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या- *34**

**गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक)**

**देशभर मे दर्ज बेरोज़गारी**

***34. श्री इमरान प्रतापगढ़ी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2016 से देश भर में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार देश में रोजगार सृजन हेतु किसी कारगर योजना के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार मंत्री**

**(डॉ मनसुख मंडाविया)**

**(क) से (घ):** एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

**"देशभर मे दर्ज बेरोज़गारी" के संबंध में श्री इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा दिनांक 28-11-2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *34 के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (घ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए रोजगार और बेरोजगारी दर (यूआर) के अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैः

| सर्वेक्षण वर्ष | डब्ल्यूपीआर (% में) | यूआर (% में) |
|---|---|---|
| 2017-18 | 46.8 | 6.0 |
| 2018-19 | 47.3 | 5.8 |
| 2019-20 | 50.9 | 4.8 |
| 2020-21 | 52.6 | 4.2 |
| 2021-22 | 52.9 | 4.1 |
| 2022-23 | 56.0 | 3.2 |
| 2023-24 | 58.2 | 3.2 |

*स्रोत: पीएलएफएस*

उपरोक्त तालिका के आंकड़ें दर्शाते हैं कि बेरोजगारी में कमी का रूझान है और डब्ल्यूपीआर, यानी रोजगार में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि के रूझान हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध में दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं जिनके तहत रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे को **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए पांच योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

*****

**अनुबंध**

**राज्य सभा के दिनांक 28.11.2024 के तारांकित प्रश्न संख्या *34 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार | 2023-24 |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4.1 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 6.1 |
| 3. | असम | 3.9 |
| 4. | बिहार | 3.0 |
| 5. | छत्तीसगढ | 2.5 |
| 6. | दिल्ली | 2.1 |
| 7. | गोवा | 8.5 |
| 8. | गुजरात | 1.1 |
| 9. | हरियाणा | 3.4 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 5.5 |
| 11. | झारखंड | 1.3 |
| 12. | कर्नाटक | 2.7 |
| 13. | केरल | 7.2 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1.0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3.3 |
| 16. | मणिपुर | 6.1 |
| 17. | मेघालय | 6.2 |
| 18. | मिजोरम | 2.3 |
| 19. | नागालैंड | 7.1 |
| 20. | ओडिशा | 3.1 |
| 21. | पंजाब | 5.5 |
| 22. | राजस्थान | 4.2 |
| 23. | सिक्किम | 2.3 |
| 24. | तमिलनाडु | 3.5 |
| 25. | तेलंगाना | 4.8 |
| 26. | त्रिपुरा | 1.7 |
| 27. | उत्तराखंड | 4.3 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 3.1 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 2.5 |
| 30. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 11.8 |
| 31. | चंडीगढ़ | 7.1 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 2.3 |
| 33. | जम्मू एवं कश्मीर | 6.1 |
| 34. | लद्दाख | 5.1 |
| 35. | लक्षद्वीप | 11.9 |
| 36. | पुडुचेरी | 4.6 |
|  | अखिल भारत | 3.2 |

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई